अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 288/2012

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता — अपीलार्थी

वनाम

अमोलिया देवी एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 27.06.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 98/11–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में विवादी जमीन मौजाः कुनौली, खाता नं0 10पुराना, 485 नया खेसरा नं0 1065 पुराना, 1645 नया, रकबा– 0.10 डी0 उत्तर से विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन करते है कि प्रश्नगत विवादित भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि उनके स्व0 दादा कौलेश्वर साह द्वारा इजराय वाद संख्या 411/1938 द्वारा निलामी खरीदगी से प्राप्त है। कौलेश्वर साह की मृत्यु के उपरांत इनके एक मात्र पुत्र सीता राम गुप्ता जो अपीलार्थी/वादी के पिता हैं हकदार वो दखलकार हुए। अपीलार्थी /वादी के पिता की मृत्यु के उपरांत अपीलार्थी/वादी एवं उनके अन्य तीन भाईयों में आपसी बँटवारा उपरांत अन्य भूमि के साथ साथ विवादित भूमि के खेसरा संख्या 1065 में रकबा 0.15 कट्ठा जमीन प्राप्त हुई वो आवेदक के नाम से

जमाबंदी संख्या 3951 संचालित है जिसमें विवादित खेसरा का रकबा शामिल है। आगे यह भी कथन करते है कि प्रतिवादीगण मूलतः नेपाल राष्ट् के निवासी हैं, वे लोग नेपाल से आकर वादी की जमीन जो सड़क के पश्चिम है का बासगीत पर्चा बनाने के उद्देश्य से सड़क पर बस गये तथा अपीलार्थी/वादी की जमीन में घुसपैठ कर बॉस का खुटा एवं एसवेस्टस का चदरा चढ़ा दिये। आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा खड़ा किये गये अवरोध को हटाने एवं विवादित भूमि पर अपीलार्थी/वादी का स्वत्व एवं दखल कब्जा धोषित करने का अनुरोध किया गया था। आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्नन्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ –3 पर यह टिप्पणी करते हुए वाद का निस्तार कर दिया कि प्रतिवादी के नाम से पुनरीक्षित सर्वे प्रविष्टि के विरूद्ध अपीलार्थी/वादी द्वारा विधि विरूद्ध तरीका से धारा 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत आदेश पारित करवा लिए हैं, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा अवर न्यायाधीस, सुपौल के न्यायालय में वाद सांस्थित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/वादी द्वारा स्वत्व निर्धारण संबंधी याचित अनुतोष को निम्नन्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे बतलाए है।

अपीलार्थी /वादी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि निम्नन्यालय द्वारा अपीलार्थी/वादी के दावा को अस्वीकृत कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/वादी इस न्यायालय में अपील वाद दाखिल किए हैं।

अपीलार्थी/वादी ने अपने दावे के समर्थन में निम्नन्यायालय के समक्ष सेल सर्टिफिकेट दिनांक 21.12.1938 ई0, मालगुजारी रसीद बनाम राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता जमाबंदी संख्या 3951, सूट संख्या 21179/84 पारित आदेश दिनांक 26.05.05, साविक सर्वे नक्शा की छाया प्रति, हाल सर्वे का नक्शा, धारा 144 द.प्र.सं. का नोटिश वाद संख्या 95/11 , धारा 107 द. प्र. सं. वाद संख्या 94/11 नोटिश, दिनांक 29.05.09 को हुए आपुसीयन पंचनामा एवं पंचाननो का आवार्ड दिनांक 30.01.12 दाखिल किए थे।

दूसरी तरफ रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि विवादित भूमि मे वर्णित नया खेसरा 1645 साविक खेसरा 1063 से निर्मित हैं जिसका रकबा 0.14.16 धूर है। उक्त जमीन साविक सर्वे खतियान में गैरमजरूआ आम खाते की जमीन है, परन्तु अपीलार्थी/वादी अपने वाद आवेदन में खेसरा 1065 पुराना का खेसरा 1645 दर्शाये हैं जो न्यायालय को दिगभ्रमित कराने का प्रयास है। उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में पुनरीक्षित सर्वे का तस्दीक पर्चा समर्पित किया गया। विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट्स /प्रतिवादीगण के पूर्वज खेसरा पूराना 1063 जो गैरमजरूआ आम खाते की सड़क से बगल पश्न की भूमि है ये कई वर्षो से आवासीय धर बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं। इसीके आधार पर रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी के पूर्वज बलदेव ठाकुर के नाम से पुनरीक्षित सर्वे का खाता 485 का खेसरा 1645 रकबा 0.10 डी0 का आवासीय मकान गय सहन दर्ज है। सर्वे प्रविष्टि के विरूद्ध सर्वे के किसी भी चरण में अपीलार्थी/वादी या उनके भाईयों द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करायी गई। आगे यह भी कथन करते हैं कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 19 एवं 20 (i)के तहत खेसरा 1645 पर 12 वर्षो से अधिक समय से दखलकार रहने के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट के नाम से जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादीगण ने अपने दावे के समर्थन में पुराना खतियान की छायाप्रति, हाल सर्वे खतियान की छाया प्रति , हाल सर्वे पर्ची , 106 बी0टी0एक्ट0 के वाद संख्या 21179/84 का आदेश दिनिांक 26. 05.05 की छाया प्रति एवं बन्दोबस्ती अपील वाद संख्या 5/12 की छाया प्रति दाखिल किया है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश के पृष्ठ 3 पर अंकित

किया गया है कि प्रतिवादी के नाम से पुनरीक्षित सर्वे प्रविष्टि के विरूद्ध आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तरीका से धारा 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत आदेश पारित करवा लिए हैं जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा अवर न्यायाधीश, सुपौल के न्यायालय में वाद सांस्थित किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा स्वत्व निर्धारण संबंधी याचित अनुतोश इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है । उक्त वाद का निस्तार होने तक वाद भूमिपर अपीलार्थी/वादी को जाने से निशिद्ध करते हुए अंचल अधिकारी निर्मली को आदेश दिया गया है कि विवादित भूमि का रकबा 0.10 डी0 का सीमांकन करा देंगे।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के सुक्ष्म अवलोकनोपरांत पाया कि विज्ञ निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/12/2013
आयुक्त ,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

16/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा